

महाविद्यालय के सम्बन्धित सूचनार्थें

1. महाविद्यालय का नाम - राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)
2. (1) स्थापना की तिथि वर्ष - 01-05-2003
(2) प्रथम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने का वर्ष- 2003-04
3. राजाज्ञा सं० एवं दिनांक - 247/उ०शि०/2003 देहरादून दि० 10.4.2003
4. दूरभाष सं०(कोड सहित)- कार्यालय (Office Land Line) फोन एवं फैक्स- 01372-251343
प्राचार्य आवास - ----
कार्यालय प्रभारी (नाम एवं मोबा० न०)- श्री विनोद मेहरा , प्रशासनिक अधिकारी,
मोबा० न० 7830171615
5. महाविद्यालय ई-मेल आई डी महाविद्यालय- lawcollegegpr2013@gmail.com
प्राचार्य- dc_nainwal@yahoo.co.in
6. महाविद्यालय वेब साइट एड्रेस- ----
7. (1) निदेशालय से महाविद्यालय की दूरी 270 कि० मी०
(2) मार्ग के अन्तर्गत मुख्य स्टेशन/स्थान- कर्णप्रयाग, गैरसैण, द्वाराहाट, खैरना एवं भवाली
8. महाविद्यालय से सड़क की दूरी 0 कि० मी०
(1) महाविद्यालय किस राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) पर स्थित है- ऋषिकेश- बद्रीनाथ राजमार्ग
राज्य मार्ग (State Highway)- चमोली- गोपेश्वर राज्यमार्ग
(2) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग से महाविद्यालय की दूरी- 0 कि० मी०
9. महाविद्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन- ऋषिकेश दूरी- 235 कि० मी०
10. विकास खण्ड का नाम- दशोली विकास खण्ड से दूरी - 10 कि०मी०
11. तहसील का नाम- चमोली तहसील से दूरी- 10 कि०मी०
12. जिला का नाम- चमोली मुख्यालय से दूरी- मुख्यालय में स्थित
13. विधान सभा क्षेत्र का नाम- 04- बद्रीनाथ
14. समुद्र तल से ऊँचाई- 1464 मीटर (4805 फीट)
15. स्थापना के समय स्वीकृत शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के नाम व संख्या-

क्र० सं०	सृजित पदनाम एवं पदों की सं०	स्थायी/अस्थायी	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिसमें पद सृजित हुआ	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिसमें पद स्थायी हुआ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्राचार्य - 01	अस्थायी	रा०सं०-657/उ०शि०/2002 दि० 14.11.2002	-	-
2	प्रवक्ता - 04 (विधि)	अस्थायी	रा०सं०-1089/2.9.5.(19) 28.02.74 दि० 20.06.1979	-	-
3	कार्यालय अधीक्षक- 01	अस्थायी	रा०सं०-657/उ०शि०/2002 दि० 14.11.2002	-	-
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष- 01	अस्थायी	रा०सं०-1089/2.9.5.(19) 28.02.74 दि० 20.06.1979	-	-
5	सहायक लिपिक - 01	अस्थायी	तदैव	-	-
6	अनुसेवक - 02	अस्थायी	तदैव	-	-

16- वर्तमान स्थिति 31.03.2014 की स्थितिनुसार स्वीकृति विषय- विधि

क्र० सं०	सृजित पदनाम एवं पदों की सं०	स्थायी/अस्थायी	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिसमें पद सृजित हुआ	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिसमें पद स्थायी हुआ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्राचार्य - 01	अस्थायी	रा०सं०-657/उ०शि०/2002 दि० 14.11.2002	-	-
2	प्रवक्ता - 04 (विधि)	अस्थायी	रा०सं०-1089/2.9.5.(19) 28.02.74 दि० 20.06.1979	-	-
3.	प्रवक्ता - 04	अस्थायी	रा०सं० 1102/xxiv(7) 29(6)/2009 29 जून 2010	-	-
4	कार्यालय अधीक्षक - 01	अस्थायी	रा०सं०-657/उ०शि०/2002 दि० 14.11.2002	-	-
5	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष- 01	अस्थायी	रा०सं०-1089/2.9.5.(19) 28.02.74 दि० 20.06.1979	-	-
6	सहायक लिपिक - 01	अस्थायी	तदैव	-	-
7	अनुसेवक - 02	अस्थायी	तदैव	-	-
	आउट सोर्सिंग के पद				
8	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर-02	अस्थायी		-	-
9.	अनुसेवक - 01	"	रा०सं० 1102/xxiv(7) 29(6)/2009 दि० 29 जून 2010	-	-
10.	स्वच्छक/चौकीदार-02	"		-	-

- 17 विषय जिनमें स्थाई सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है :- राज० स्ना० महावि०, गोपेश्वर में फैकल्टी के रूप में विधि को स्थाई सम्बद्धता प्राप्त थी।
(राजाज्ञा संख्या का उल्लेख करें) Letter No. E 6970/ G.S. Dt. 28 August, 1985

स्नातक स्तर

विधि

स्नातकोत्तर स्तर

- 18 विषय जिनमें अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त हुई है- पृथक विधि महाविद्यालय बनने के पश्चात् वि०वि० गढ़वाल द्वारा एक वर्ष हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान जाती है। वि०वि० गढ़वाल के पत्रांक संख्या- मान्यता/767/दिनांक 03-12-2013 द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गयी।

स्नातक स्तर

विधि

स्नातकोत्तर स्तर

- 19 (1) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की सूचना (राजाज्ञा सं० सम्बद्धता अवधि सहित)- ---
(2) नियामक संस्था का नाम एवं अनुमति पत्र संख्या एवं दिनांक- ---
20 महाविद्यालय की भूमि-भवन से सम्बन्धित सूचनायें (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)-

- (1) महाविद्यालय के पास भूमि उपलब्ध है या नहीं :- महाविद्यालय के पास भूमि उपलब्ध है।
(41 नाली 2 मुट्टी)

- (2) यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो भूमि अधिप्राप्ति हेतु महाविद्यालय स्तर पर अद्यतन की गयी कार्यवाही की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करें (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)
यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ? भूमि उपलब्ध

- (3) यदि भूमि उपलब्ध है तो माप- (क) हेक्टेयर में- 1.02355 हेक्टेयर
(ख) वर्ग मीटर में- 10235.53 वर्ग मीटर

- (4) महाविद्यालय की शिक्षणेत्तर गतिविधियों हेतु स्थान उपलब्ध है (हाँ या नहीं) - नहीं

- (5) महाविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों निम्न विवरण अंकित करें-

क- उपलब्ध Indoor Games की व्यवस्था- नहीं

ख- उपलब्ध Outdoor Games की व्यवस्था- नहीं

ग- क्रीड़ा गतिविधियों हेतु महाविद्यालय के पास उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था- जिला क्रीड़ा स्टेडियम

(6.) महाविद्यालय में उपलब्ध भवनों का विवरण (31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	भवन निजी है/किराये का या किसी संस्था/ विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया	यदि निजी है तो स्थायी अथवा अस्थायी टिन शैड आदि	भवनों/कक्षों के नाम पृथक-पृथक संख्या लिखें	कक्षों की संख्या	कक्षों का परिमाण (मीटर कक्षा का परिमाण (मीटर में))
1	2	3	4	5	6
1	निजी भवन	स्थायी	प्राचार्य कक्ष	01	6.77 X 6.27
2			स्टेनो रूम	01	3.27 X 3.00
3			वैटिंग रूम	01	3.27 X 3.00
4			रिकॉर्ड रूम	01	3.27 X 2.40
5			कार्यालय कक्ष	01	6.77 X 6.27
6			स्टाफ रूम	01	6.77 X 6.27
7			टायलेट	02	3.60 X 3.27
8			कैंटीन	01	6.00 X 4.27
9			बॉयज कॉमन रूम	01	6.00 X 4.27
10			गर्ल्स कॉमन रूम	01	6.00 X 4.27
11			टायलेट	02	3.27 X 1.50
12			लैक्चर रूम	03	6.77 X 10.27
13			लाइब्रेरी भवन (भूतल + प्रथम तल)	01	12 मीटर गोलाई में
14			टायलेट	02	2.15 X 2.95

(7) महाविद्यालय की वर्तमान में चल रही निर्माण योजनाओं संबंधी सूचना (लघु, वृहद, अस्थायी आदि)

क्र० सं०	प्रस्तावित/ स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण	कक्षों की संख्या	कक्षों का आकार (मीटर में)	निर्माण प्रस्ताव	लागत स्वीकृत	कार्यदायी संस्था का नाम	अवमुक्त धनराशि	निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति	भवन हस्तान्तरण की स्थिति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	अनावासीय भवन												
1	पुस्तकालय प्रसारण केन्द्र,	1	272.70 वर्ग मी०	निर्माण धीन	263.77 लाख	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, श्रीनगर	263.77 लाख	कार्य प्रारम्भ नहीं	—				
2	डिमान्स्ट्रेशन कक्ष,	1	197.10 वर्ग मी०					पूर्ण	नहीं				
3	संयुक्त वादन कक्ष,	1	371.25 वर्ग मी०					कार्य प्रारम्भ नहीं	—				
4	अतिथि गृह	1	—					कार्य प्रारम्भ नहीं	—				
5	कम्प्यूटर कक्ष	1	—					पूर्ण	नहीं				
	आवासीय भवन												
6	टाइप IV	4	232.94 वर्ग मी०					पूर्ण	नहीं				
7	टाइप III	2	165.77 वर्ग मी०					कार्य प्रारम्भ नहीं	—				
8	टाइप II	1	60.17 वर्ग मी०					कार्य प्रारम्भ नहीं	—				
9	टाइप I	2	79.17 वर्ग मी०	कार्य प्रारम्भ नहीं	—								

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राचार्य की अभ्युक्ति— द्वितीय फेज अन्तर्गत पुस्तकालय प्रसारण केन्द्र, संयुक्त वादन कक्ष, अतिथि गृह, डिमान्स्ट्रेशन कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं आवासीय भवनों हेतु कुल स्वीकृत धनराशि 263.77 लाख निर्माण एजेन्सी को अवमुक्त किये जा चुके हैं। निर्माण एजेन्सी द्वारा अद्यतन कम्प्यूटर कक्ष, डिमान्स्ट्रेशन कक्ष एवं आवासीय भवन टाइप IV का ही निर्माण किया गया है। शेष भवनों का निर्माण एवं प्रथम फेज अन्तर्गत महाविद्यालय मुख्य गेट व पोर्च का निर्माण नहीं हुआ है। द्वितीय फेज अन्तर्गत शेष भवनों का कार्य लगभग 3 वर्षों से रुका है। निर्माण भवनों को हस्तान्तरण व शेष भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

21 कम्प्यूटर की सूचना (प्रोजेक्ट शिखर के अतिरिक्त)

क्र0	उपलब्ध कम्प्यूटर की संख्या	क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या	निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर की संख्या	अभुक्ति
1	2	3	4	5
1	06	05	01	---

कम्प्यूटर से सम्बन्धित उपकरणों की सूचना

क्र0	उपकरण का नाम	उपकरणों की संख्या	क्रियाशील	निष्प्रयोज्य	अभुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रिन्टर	05	02	03	---
2	यू. पी. एस.	06	03	03	---

22. प्रोजेक्ट "शिखर" से सम्बन्धित सूचनायें-

- (क) कोर्स संचालित करने वाली संस्था का नाम- प्रोजेक्ट "शिखर" संचालित नहीं है।
- (ख) क्या कम्प्यूटर शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं- ---
- (ग) उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या - ---
- (घ) उपलब्ध अन्य उपकरण - ---
- (ङ) विगत पाँच वर्षों में वर्षवार प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या (संस्थागत) - ---
- (च) विगत 3 वर्षों में वर्षवार सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त छात्र/छात्राओं की संख्या -
- (छ) कम्प्यूटरों/उपकरणों के रख-रखाव, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, विद्युत व्यय, इण्टरनेट आदि - पर व्यय किसके द्वारा वहन किये जा रहे हैं। (विगत 05 वर्षों की सूचना) -
- (ज) प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में प्राचार्य की आख्या - ---

- 23 (1) महाविद्यालय में पेयजल की व्यवस्था : (है अथवा नहीं) - पेयजल व्यवस्था है।
- (2) महाविद्यालय में पानी के संग्रहण (storage) की व्यवस्था का उल्लेख करें - पानी टैंक है।
- (3) महाविद्यालय में शुद्ध पेयजल हेतु Water Purifier की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं - नहीं

- 24 (1) महाविद्यालय में प्रसाधन की व्यवस्था का उल्लेख करें - प्रसाधन व्यवस्था है।
- (2) महाविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी/अधिकारी हेतु पृथक से प्रसाधन सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं : उपलब्ध है।

25. (1) पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या : 4498
- (2) पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथों की संख्या : 1340 (लगभग)
- (3) महाविद्यालय में नियमित रूप से मंगाये जा रहे समाचार पत्र/पत्रिकाओं/जरनल/अन्य प्रकाशन के नाम : 09 जर्नल्स
- (4) महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है अथवा नहीं : वाचनालय व्यवस्था है।
- (5) वाचनालय में नियमित रूप से उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं के नाम : हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र
- (6) पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति (है अथवा नहीं) : नहीं

26. शासनादेश संख्या .166/xxiv(6)/2010 दिनांक 06 मई, 2010, जिसके द्वारा धूम्रपान प्रतिबन्धित किया गया है, के अनुपालन की स्थिति :- धूम्रपान प्रतिबन्धित है।

नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : श्री राजेश कुमार, असि0 प्रोफे0 विधि
मोबाइल नं0 : 9761597307

27. रैगिंग हेतु गठित एन्टी रैगिंग प्रकोष्ठ के गठन की सूचना :

नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : — श्री राजेश कुमार, असि0 प्रोफे0 विधि
मोबाइल नं0 : 9761597307

26 महिला उत्पीडन सेल के गठन की स्थिति : सेल गठित है।

नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम :— श्री राजेश कुमार, असि0 प्रोफे0 विधि
मोबाइल नं0 : 9761597307

29. महाविद्यालय की 2 एफ अथवा 12 बी की स्थिति :

(क) महाविद्यालय 2 एफ से आच्छादित है : नहीं
(ख) महाविद्यालय 12 बी से आच्छादित है : नहीं

30. नैक प्रकोष्ठ का विवरण—

(1) प्रभारी व सदस्यों के नाम — —
(2) क्या नैक से प्रत्यायनित है? — —

यदि हों तो cycle I/II प्रथमवार प्रत्यायनित— वर्ष द्वितीयवार — वर्ष

(3) महाविद्यालय को प्राप्त ग्रेड —

(4) क्या प्रत्यायन/पुनः प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है? —
यदि हों —

(5) क्या LOI प्रेषित किया है? (यदि हों तो कब?) —

(6) LOI स्वीकृति की तिथि—

(7) E Mail Track ID का नाम—

(8) SSR प्रेषित करने की तिथि—

(9) SSR छः माह में प्रेषित करने की अंतिम तिथि—

(10) क्या IQAC स्थापित है (यदि हों तो कब?) — नहीं

(11) चालू वर्ष में IQAC की बैठकों की संख्या—

(12) क्या चालू वर्ष हेतु IQAC प्रेषित किया गया है— नहीं

यदि हों तो कब? —
पत्रांक एवं दिनांक—

31 सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में—

(क) पर्जीकृत अनुरोधों की संख्या— : शून्य
(ख) निस्तारित अनुरोधों की संख्या— : शून्य
(ग) लम्बित प्रकरणों की संख्या— : शून्य
(घ) मैनुअलों को तैयार किये जाने की अद्यतन स्थिति— : मैनुअल तैयार है।

32 महाविद्यालय में प्लेसमेंट सैल की स्थिति :

(1) महाविद्यालय में प्लेसमेंट सैल गठित है : सैल गठित है।
(2) प्लेसमेंट सैल से विगत वर्ष लाभार्थी छात्रों की संख्या : शून्य
(3) प्लेसमेंट सैल के संबंध में प्राचार्य की आख्या : —

- 33 महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्रों की स्थिति :
- (1) अग्निशमन यंत्र लगाये गये हैं : नहीं
- (2) अग्निशमन यंत्रों की संख्या : —
- (3) स्थान : —
- 34 (1) महाविद्यालय में फिप (FIP) की स्थिति : —
- (2) फिप (FIP) से लाभान्वित होने वाले प्राध्यापकों की संख्या : —
- 35 महाविद्यालय में एडुसेट (Edusat) स्थापित है अथवा नहीं : एडुसेट सामग्री प्राप्त, स्थापित नहीं
- यदि हाँ तो वर्तमान में क्रियाशील है अथवा नहीं : नहीं
- एडुसेट (Edusat) के प्रभारी का नाम, पदनाम व मोबा० नं० : —
- एडुसेट (Edusat) से सम्बन्धित उपकरणों की स्थिति : उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र देहरादून एवं नोडल अधिकारी एडुसेट के पत्र के अनुपालन में 6 उपकरण अन्य कार्यालय को निर्गत किये जा चुके हैं। शेष उपकरण उपलब्ध।
- 36 महाविद्यालय में छात्रावास की स्थिति : छात्रावास नहीं है।

क्र० सं०	छात्रावास पुरुष/ महिला	कक्षों की उपलब्धता	कितने छात्र/छात्राओं हेतु उपलब्ध है	छात्रावास प्रभारी का नाम
1	पुरुष छात्रावास	नहीं है	---	---
2	महिला छात्रावास	नहीं है	---	---

37. महाविद्यालय में छात्र कुर्सी एवं मेज की संख्या : 200 प्लास्टिक कुर्सियां (राइटिंग पैड सहित)

38. AISHE की सूचना :

नोडल अधिकारी का नाम : डॉ० डी० के० शर्मा

पदनाम : संविदा प्रवक्ता- विधि

मोबाईल नं० : 7579038921

E-Mail ID : dineshsharmallm@gmail.com

39. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सूचना : शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है।
- प्रभारी का नाम : श्री राजेश कुमार, असि० प्रोफे० विधि
- सदस्यों के नाम : डॉ० बी० सी० नौटियाल, डॉ० डी० के० शर्मा

40. महाविद्यालय में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थिति : आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ है।

प्रभारी का नाम : श्री राजेश कुमार,

पदनाम : असि० प्रोफे० विधि

मोबाईल नं० : 9761597307

41. महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों (संविदा सहित) के नाम से कोई Patent/ Copyright उपलब्ध है तो नहीं उसका विवरण—

- 42 1. महाविद्यालय की संदृष्टि (VISION) : न्यायिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जीविकोपार्जन हेतु विधि स्नातक की शिक्षा से राष्ट्र/राज्य को संबल बनाना।
2. महाविद्यालय द्वारा आगामी वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्य (Goal): व्यक्तित्व विकासोन्मुख व गुणवत्तापरक न्यायिक शिक्षा प्रदान करना।